ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO – 226
ANSWERED ON - 17/03/2021

SCHEMES FOR UPLIFTMENT OF SCHEDULED CASTE

226. DR. L. HANUMANTHAIAH

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) whether Government proposes to formulate any new policy/scheme for the economic upliftment of Scheduled Caste;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time by when the said policy/scheme is likely to be implemented?

ANSWER

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(SHRI THAAWARCHAND GEHLOT)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

*****

Statement referred to in reply to the part (a) to (c) of Rajya Sabha Starred Question No: *226 to be answered on 17-03-2021 regarding "Schemes for upliftment of Scheduled Caste" asked by Dr. L. Hanumanthaiah, MP

(a) to (c) The Ministry has formulated/revamped a series of schemes for the upliftment of the SCs – including access to education, skill development, providing income generating assets, and infrastructure development in the SC localities. Some of the major initiatives are given below:

The Government is implementing the Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) covering forty-one (41) departments of Government of India with a mandate to take up activities under identified schemes, which would directly benefit the SCs. An amount of Rs. 1,26,259 cr. has been provisioned in the annual budget for 2021-22, which is about 52% higher than the previous year.

Further, the Government has completely revamped the Post Matric Scholarship scheme for Scheduled Castes to provide universal access to the SC youth for higher education. The funding pattern under the Scheme has been changed from the committed liability formula to a fixed sharing pattern of 60:40 between the Centre and the States (90:10 for the North Eastern States), thus increasing the Govt. of India commitment in the scheme by almost four (4) times. An amount of Rs.35,534 cr. has been committed by Central Govt. for this scheme till 2025-26 and it is estimated that about 4 crore SC youth will be benefitted during this period. Apart from increasing the central share in the scheme, the Government had brought in several process improvements to avoid delays in payment of scholarships using the DBT system.

The Government is going to introduce a scheme named "Scheme of Residential Education for Students in High School in Targeted Area" (SRESHTA) for providing top class education from classes 9^{th} to 12^{th} in the best schools, to bright SC boys and girls. The cost of their education would be met under the scheme.

Under the PM Adarsh Gram Yojana (PMAGY), about 27,000 villages with over 50% SC population are being developed as model villages by providing 50 basic facilities and services covering infrastructure, access to government schemes and economic benefits.

Further, to optimise the resources and improve the implementation framework, the Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY) has been formulated by merging and revamping three existing schemes of the Ministry, namely Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Plan (SCA to SCSP), Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) and Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana (BJRCY). PM-AJAY is proposed to be implemented from 2021-22 with the objective of:

- Reducing poverty of the SC communities by generation of additional employment opportunities through skill development, income generating projects and other initiatives.
- Improving socio-economic developmental indicators by ensuring adequate infrastructure and requisite services in the SC dominated villages.

- Increasing literacy and encourage enrolment of SCs in schools and higher educational institutions by providing adequate residential facilities in quality institutions, as well as residential schools where required.

Apart from this, the Government has also recently undertaken the following initiatives:-

- The Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana was launched during 2020-21 by rationalising and revamping the Skill Development components under various schemes of the Ministry and Corporations. The Scheme is being implemented through the Corporations of the Ministry, including National Schedule Caste Finance and Development Corporation (NSFDC). It aims to improve the all-round competency and adeptness of the artisans, including SCs, through vocational training to improve their revenue generation capacities and make them employable. It also tries to promote self-employment activities through long-term training and specialization in employable vocations, especially for youths.
- The Vanchit Ikai Samooh aur Vargo Ke Liye Arthik Sahayta (VISHVAS) Yojana was launched during 2020-21 and is being implemented by the Ministry's Corporations, including NSFDC with the aim to provide 5% interest subvention to SC/OBC borrowers having annual income up to Rs. 3.00 lakh, for income generating schemes financed by various Banks & other such financial institutions. The subvention is available on individual loans up to Rs.2 lakh and SHG loans up to Rs. 4 lakh.
- Ambedkar Social Innovation Incubation Mission (ASIIM) was launched as a part of the existing Scheme of Venture Capital Fund for SCs to enable start-ups and innovation ideas of SC entrepreneurs to be benefited through Government interventions. ASIIM is aimed at supporting innovators in different stages of the life cycle of an idea, from conceptualization to the ultimate harvesting of the ventures so as to help them set up successful ventures/ businesses. One thousand innovative ideas shall be supported through liberal equity support till 2024 through synergistic work with the Technology Business Incubators (TBIs) set up by Department of Science and Technology and others in various higher education campuses. Eligible initiatives of SC youth will be entitled to funding of up to Rs.30 lakhs in a three-year period i.e. Rs.10 lakhs every year as equity in the companies promoted by the SC entrepreneurs.

*****

– ৲ –

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं.226

उत्तर देने की तारीखः 17.03.2021

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए योजनाएं

226. डॉ. एल. हनुमंतय्या:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिए कोई नई नीति/योजना बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति/योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

डॉ. एल. हनुमंतय्या, संसद सदस्य द्वारा "अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए योजनाएं" विषयक राज्य सभा में दिनांक 17.03.2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए एससी बस्तियों में अनेक स्कीमें, जिनमें शिक्षा तक पहुंच, कौशल विकास, आय सृजनकारी परिसंपत्तियां प्रदान करना और अवंसरचना का विकास शामिल हैं, तैयार की हैं/सुदृढ़ किया है। कुछेक पहलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

सरकार अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) कार्यान्वित कर रही है जिसमें भारत सरकार के इक्तालीस (41) विभागों को कवर किया गया है जिन्हें अभिज्ञात स्कीमों के अंतर्गत कार्यकलापों को शुरू करने का अधिदेश दिया गया है जिसका सीधा लाभ एससी व्यक्तियों को पहुंचेगा। वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक बजट में 1,26,259/- करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 52% अधिक है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एससी युवाओं की उच्चतर शिक्षा के लिए सर्वत्र पहुंच हेतु अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम को पूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न को प्रतिबद्ध देयता फार्मूले से परिवर्तित करके केन्द्र और राज्यों के मध्य 60:40 के निर्धारित शेयर पैटर्न (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 90:10) किया गया है जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की स्कीम में प्रतिबद्धता लगभग चार (4) गुणा बढ़ जाएगी। वर्ष 2025-26 तक इस स्कीम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 35,534/- करोड़ रुपए की राशि की प्रतिबद्धता की गई है और यह अनुमान है कि इस अवधि के दौरान लगभग 4 करोड़ एससी युवा लाभान्वित होंगे। स्कीम में केन्द्रीय शेयर में वृद्धि करने के अलावा, सरकार ने डीबीटी प्रणाली का उपयोग करते हुए छात्रवृत्ति के भुगतान में होने वाली देरी से बचने के लिए अनेक सुधार किए हैं।

सरकार मेधावी एससी बालकों और बालिकाओं को सर्वोत्तम स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कीम नामत: "लक्षित क्षेत्र में हाई-स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा संबंधी स्कीम" (श्रेष्ठ) शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत उनकी शिक्षा की लागत वहन की जाएगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के अंतर्गत 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले लगभग 27,000 गांवों को 50 बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं जिनमें अवसंरचना, सरकारी स्कीमों तक पहुंच और आर्थिक लाभ कवर किए गए हैं, सुविधाएं प्रदान करके मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इसके अलावा, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने तथा कार्यान्वयन ढांचा को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) को मंत्रालय की मौजूदा तीन स्कीमों नामतः अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी के लिए एससीए), प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) का विलय करके तथा इन्हें सुदृढ़ बनाकर तैयार किया गया है। पीएम-एजेएवाई को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वर्ष 2021-22 से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है :-

- कौशल विकास, आय सृजनकारी परियोजनाओं तथा अन्य पहलुओं के माध्यम से नियोजन के अतिरिक्त अवसरों को पैदा करके एससी समुदायों की गरीबी को कम करना।
- एससी बाहुल्य गांवों में पर्याप्त अवसंरचना तथा अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों में सुधार करना।
- साक्षरता में वृद्धि करना तथा स्कूलों तथा उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्तापरक संस्थाओं तथा जहां अपेक्षित हो वहां आवासीय स्कूलों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर एससी छात्रों के नामांकनों को प्रोत्साहित करना।

इसके अलावा, सरकार ने निम्नलिखित पहलों की भी शुरूआत की है :

- मंत्रालय तथा निगमों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कौशल विकास संघटकों को सुदृढ़ तथा तर्कसंगत बनाकर वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) की शुरूआत की गई थी। यह स्कीम मंत्रालय के निगमों, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसएफडीसी) शामिल है, के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य एससी सहित कारीगरों के समग्र क्षमता तथा कुशाग्रता में उनकी आय सृजक क्षमताओं में सुधार लाने तथा उन्हें नियोजन योग्य बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार लाना है। इस स्कीम का, विशेषकर युवाओं के लिए, दीर्घकालिक प्रशिक्षण तथा नियोजन योग्य व्यवसायों में विशेषज्ञता के माध्यम से स्व-रोजगार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रयास रहता है।
- वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना की शुरूआत वर्ष 2020-21 के दौरान की गई थी तथा इसे एनएसएफडीसी सहित मंत्रालय के निगमों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न बैंकों एवं अन्य ऐसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित आय सृजनकारी स्कीमों के लिए 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले एससी/ओबीसी उधारकर्ताओं के लिए 5% ब्याज राहत

उपलब्ध कराना है। यह राहत निजी व्यक्तियों के 2 लाख रुपए तक के ऋण तथा 4 लाख रुपए तक एसएचजी ऋणों के लिए उपलब्ध है।

- अम्बेडकर सामाजिक इन्नोवेशन इक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) की शुरूआत मौजूदा एससी के लिए उद्यम पूंजी निधि स्कीम के भाग के रूप में की गई थी ताकि सरकार के इंटरवेंशनों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले एससी उद्यमियों के नए विचारों तथा स्टार्ट-अप को कार्यक्षम बनाया जा सके। एसएसआईआईएम का उद्देश्य किसी विचार के समग्र कार्यकाल के विभिन्न चरणों में, विचार की शुरूआती कल्पना से लेकर उद्यमों के अंतिम रूप से फलीभूत होने तक, इन्नोवेटरों की सहायता करना है ताकि उनकी सफल उद्यम/व्यवसायों की स्थापना करने हेतु सहायता की जा सके। वर्ष 2024 तक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा विभिन्न उच्चतर शिक्षा परिसरों द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी व्यवसाय के सहकार्य के माध्यम से उदार इक्विटी सहायता के जरिए हजारों इन्नोबेटिव विचारों की मदद की जाएगी। एससी युवा के पात्र पहलुओं को एससी उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित कंपनियों में इक्विटी के रूप में प्रति वर्ष 10 लाख रुपए अर्थात् प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में 30 लाख रुपए तक के वित्तपोषण हेतु हकदार बनाया जाएगा।

*****

[**MR. DEPUTY CHAIRMAN** *in the Chair*.]

DR. L. HANUMANTHAIAH : Sir, there are elaborate schemes, which the Government has given and followed. My question is, even after so many programmes, the SC population in the country is not uplifted. They are still homeless, jobless and socially backward. They have not come to the mainstream. So, are there any specific programmes which the Government is going to have in the next coming year?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) : माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से दलित समाज के उत्थान के लिए पिछले वर्ष 83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष के बजट में भी 1,26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सर, यह राशि भारत सरकार के 41 मंत्रालयों के माध्यम से वितरित की जाती है। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी है और वह इस बारे में समय-समय पर बैठकें करके सारा संज्ञान लेता रहता है कि जो राशि एलॉट की गई है, उसमें से कितनी खर्च हुई है। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के Preamble में बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व संविधान के अन्य निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की थी कि यह जो हमारा
समाज है, इसके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए हम हर कदम उठाएंगे और उन कदमों को प्राप्त करने के लिए ही...

श्री उपसभापति : मेरा आग्रह है कि आप briefly answer दें, ताकि अधिक से अधिक सदस्य सवाल पूछ सकें।

श्री रतन लाल कटारिया : उपसभापति महोदय, मैंने महोदय को बताया है कि आने वाले समय में हम उनके लिए एक 'श्रेष्ठ योजना' शुरू करेंगे, जिसमें हम दलित छात्रों का सारा खर्च उठाकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। हमने तीन स्कीम्स को मिलाकर एक 'अभ्युदय योजना' शुरू की है। इसी तरह से, हमने 'पीएम-दक्ष योजना' शुरू की है, जिसके द्वारा हम दलित वर्ग के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कई चरणों में ट्रेनिंग दिलवाएंगे, ताकि वे रोज़गार प्राप्त कर सकें।

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, my second supplementary is this. Both, the State Governments and the Central Government are implementing these schemes. Is there any survey to show how many people have been uplifted? How many people have still not benefitted from these programmes? If there is no survey in the Government, why don't you have a survey and find out how many families in the country have been uplifted? Is that survey available or not?

श्री रतल लाल कटारिया : माननीय उपसभापति महोदय , माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है , मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब भारत की जनगणना होती है , उसमें इन सब बातों का ज़िक्र किया जाता है , लेकिन इस प्रकार का कोई सर्वे अलग से नहीं होता है। हमारे डिपार्टमेंट में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं , उनके कितने लाभार्थी हैं , माननीय सदस्य इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो मैं उन्हें प्रदान करा दूँगा।

श्री उपसभापति : माननीय शमशेर सिंह जी, आप specific सवाल पूछिए।

श्री शमशेर सिंह ढुलो : सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि हमने लगभग 1 ,26,000 करोड़ रुपये allocate किए हैं। सर , स्कीम्स बहुत हैं। 75 साल से एससी-एसटी और बीपीएल की बड़ी स्कीम्स बनती हैं, वे कागज़ों में हैं , पर सवाल उनके इम्प्लिमेंटेशन का है। इन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम की बात की है। हिन्दुस्तान में तकरीबन majority States में स्कॉलरशिप्स के *

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री शमशेर सिंह ढुलो : सर, यह इनके जवाब में है। इन्होंने स्कॉलरशिप की भी बात की है , एजुकेशन की भी बात की है और स्किल डेवलपमेंट की भी बात की है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप उस पर सवाल पूछें।

श्री शमशेर सिंह ढुलो : सर , हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हिन्दुस्तान में * यहाँ से सरकारें फंड ऐलोकेट करती हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : इस टिप्पणी के लिए इज़ाज़त नहीं है। मैं अब आगे बढ़ूँगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री शमशेर सिंह ढुलो : ऐसी स्कीमों का जो फंड जाता है , वह revert होता है। दूसरा , स्कॉलरशिप्स के * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपका सवाल हो गया , अब यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने सवाल और जवाब में संक्षिप्त रहें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँगा। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी।

***Not Recorded**

श्री रतन लाल कटारिया : माननीय उपसभापति महोदय, अभी केन्द्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम शेड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों को जो post-matric scholarship देते थे, उसमें हम केवल 1,000 करोड़ रुपये ही एक साल में दे पाते थे , क्योंकि committed liability का एक फॉर्मूला बीच में बाधा बन रहा था, जिसकी वजह से केन्द्र की ओर से राज्यों को बहुत ज्यादा सहायता नहीं दी जा सकती थी। अब उस committed liability के फॉर्मूले को हटाकर एक 60 :40 का फॉर्मूला हमने बनाया है।...(**व्यवधान**)...

श्री शमशेर सिंह ढुलो : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not allowed. ...(*Interruptions*).... Not allowed. ...(*Interruptions*)...

श्री रतन लाल कटारिया : मैं जवाब दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रतन लाल कटारिया : अब हमारे डिपार्टमेंट ने 60:40 का फॉर्मूला बनाया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)...

श्री रतन लाल कटारिया : सर, मैं पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहूँगा कि यह राशि 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 60,000 करोड़ रुपये हो गई है, ताकि पाँच साल में 4 करोड़ दलित छात्रों को इसका लाभ मिले। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : ठीक है, आपका जवाब हो गया।...(**व्यवधान**)... माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी।

श्री शमशेर सिंह ढुलो : *

श्री उपसभापति : आप unauthorized बोल रहे हैं। आपको बोलने की अनुमति नहीं है , आप बैठिए। कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री रतन लाल कटारिया : *

श्री उपसभापति : कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, प्लीज़ आप बैठें। माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी।...(**व्यवधान**)... आप सीट पर बैठकर टिप्पणी न करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, आप सवाल पूछें।

---

*Not Recorded

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सर, पूरक प्रश्न के तौर पर मैं मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूँ कि पहले SC Corporation में direct loaning की व्यवस्था थी, लेकिन जो लिखित जवाब दिया गया है, उसमें लिखा है- 'Generating Schemes financed by various Banks.' हमारा यह अनुभव है कि बैंक इसमें cooperate नहीं करते हैं। बैंकों में फॉर्म्स पड़े रहते हैं और वे लोगों को चक्कर कटवाते रहते हैं।

सर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि National Scheduled Castes Finance and Development Corporation से direct loaning की व्यवस्था हो जाए, क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहेगी? सर, इसी में मेरा एक दूसरा प्रश्न भी है।

श्री उपसभापति : नहीं, आप एक ही सवाल पूछें।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सर, यह सवाल इसी में है।

श्री उपसभापति : आपको दूसरा सवाल पूछने का अवसर नहीं मिल सकता। जांगड़ा जी, जो सवाल पूछता है, उसको दो अवसर मिलते हैं। आप प्लीज़ बैठ जाएँ।

श्री रतन लाल कटारिया : माननीय उपसभापति महोदय, हमारे वित्त विभाग की जो Scheduled Castes की Corporation है, उसकी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को उसके अंतर्गत लोन का प्रावधान हो। इसी दृष्टि से, हमने जो 'प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना' शुरू की है, उसके अंतर्गत Scheduled Castes के ऐसे सभी लोग, जिनकी income चार लाख रुपये तक है, उनके लिए दो लाख रुपये तक का लोन और जो Self-help Groups हैं, उनके लिए चार लाख रुपये तक के लोन की व्यवस्था हम करते हैं। हमारे जो बैंक्स हैं, वे भी ब्याज में पाँच परसेंट तक की छूट देकर हमारे दलित समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : सर, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। एचआरडी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट यह दिखा रही है कि जो reservation का रूल है, वह 16 IIMs में से 9 में under ten per cent है, जिसमें faculty को hire किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी के मंत्रालय ने इस मुद्दे को एचआरडी मिनिस्ट्री के सामने उठाया है और जो vacancies हैं, क्या उनको भरने का काम हुआ है?

श्री रतन लाल कटारिया : आप हमारे संज्ञान में यह बात लायी हैं। हम इसको देखेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No. 227. The questioner is not present.